

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 07/2023
अनवान : -

1. मांगुराम पुत्र कुरडाराम जाति नायक साकिन आपुवाला तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 22/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा आपुवाला तहसील नोहर के खाता स० 64/63 की कुल 5.5260 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम मांगीराम पुत्र कुरडाराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि आदि में मांगुराम पुत्र कुरडाराम दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में मांगीराम पुत्र कुरडाराम के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम मांगुराम पुत्र कुरडाराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का सही नाम तस्लीम कर देवे तो अप्रार्थी स० 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर ने द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कि गई कि राजस्व रिकार्ड में मांगीराम पुत्र कुरडाराम के स्थान पर मांगुराम पुत्र कुरडाराम किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम मांगुराम पुत्र कुरडाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मांगीराम पुत्र कुरडाराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजो के आधार पर

०१


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में सही नाम मांगुराम पुत्र कुरड़ाराम दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 64/63 की कुल 5.5260 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी अपना नाम मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम के स्थान पर मांगुराम पुत्र कुरड़ाराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड आदि में मांगुराम पुत्र ओमप्रकाश अंकित है तथा तहसीलदार नोहर ने भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 64/63 की कुल 5.5260 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम के स्थान पर मांगुराम पुत्र कुरड़ाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर
पीठासीन अधिकारी : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2024/311
तहसीलदार,
नोहर।

दिनांक : 27/03/24

विषय :- प्रकरण स0 07/2023 अनवानी मांगुराम बनाम
सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।
प्रकरण संख्या - 07/2023
अनवान : -

1. मांगुराम पुत्र कुरड़ाराम जाति नायक साकिन आपुवाला तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा आपुवाला तहसील नोहर के खाता स0 64/63 की कुल 5.5260 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम के स्थान पर मांगुराम पुत्र कुरड़ाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम मांगीराम पुत्र कुरड़ाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

01.
(पंकज गढ़वाल_{R.A.S.})
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर